

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-33/लैब टेक्नी/1185/09/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लैब टेक्नी/1185/09/182 दिनांक 28.2.09 के द्वारा ग्रामीण लेब टेक्नीशियन के नियुक्ति/पदस्थापन जारी किये गये है । इस क्रम में निर्देश दिये जाते है कि अब उक्त आदेश मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर रिट संख्या 2430/2009 के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन माने जावेंगे ।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-33/लैब टेक्नी/1185/09/190 दिनांक:- 21/3/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज० जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर ।
- 3- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश अपने स्तर से तत्काल आपके परिक्षेत्र के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आज ही फैंक्स कराकर उक्त आदेश का हवाला उनके द्वारा जारी लैब टेक्नीशियन के पदस्थापन से संबंधित सभी आदेश में दिया जावें ।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज० को प्रेषित कर लेख है कि उक्त तथ्य का हवाला आप द्वारा ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पदस्थापन संबंधित सभी आदेशों में दिया जाना सुनिश्चित करें ।
- 5- समस्त संबंधित ।
- 6- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

① खबरदारी

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर